निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 37/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सुरेश पुत्र स्व. श्री झांझूराम जाति जाट, निवासी तन हनुमानपुरा, पोस्ट सेवापुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री प्रियवृत चारण आर ए एस पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी आमेर।

2 विवेक सिंह पुत्र श्री कमल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर। हाल निवासी 438/439 वाल्मिकी मार्ग, हनुमान नगर विस्तार, सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर ।

3 रामनारायण पुत्र जैलाराम

4 शैतान पुत्र जैलाराम

5 श्रवण पुत्र जैलाराम

6 सेडूराम पुत्र कानाराम

7 बिरदी पुत्र कानाराम

8 कैलाश पुत्र झांझूराम

9 प्रभू पुत्र झांझूराम

10 मुकेश पुत्र झांझूराम

11 राजू पुत्र झाझूराम

12 रामू पुत्र कानाराम

13 जगन्नाथ दत्तक पुत्र नारायण

समस्त जाति जाट, निवासी तन हनुमानपुरा, पोस्ट सेवापुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

14 भींवा पुत्र ग्यारसी लाल जाति जाट

15 प्रभात पुत्र ग्यारसी लाल जाति जाट

समस्त निवासी ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

16 कालूराम पुत्र ग्यारसा

17 गोपीराम पुत्र ग्यारसा

18 प्रभात देवी पत्नी ग्यारसा

19 बाबूलाल पुत्र ग्यारसा

20 रणजीत पुत्र ग्यारसा

21 लालचन्द पुत्र ग्यारसा

22 श्रवण पुत्र ग्यारसा

23 संतोष पुत्र ग्यारसा

24 सुरज्ञान पुत्र ग्यारसा

25 सेडू पुत्र गंगल्या (फौत)

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

जिला कलक्टर
जयपुर

26 भींवा पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

27 अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप

28 विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप

29 सुरेश कुमार पुत्र रामस्वरूप

समस्त जाति जांगिड ब्राह्मण, निवासी कानाराम नगर, ढेहर का बालाजी, चौमू रोड, जयपुर।

30 अमित रोहड पुत्र हनुमान सिंह जाति चारण निवासी ई–4 अमानीशाह रोड, मोतियों की छवील, जयपुर।

31 विजयपाल सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुदामापुरी द्वितीय, हरमाडा, सीकर रोड, जयपपुर ।

32 बजरंगल लाल पुत्र हनुमान सहाय जाति बाह्मण

33 सुरेश कुमार पुत्र हनुमान सहाय जाति बाह्मण

निवासी मूण्डोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

34 मोहन लाल घीया पुत्र कृष्ण गुप्ता जाति महाजन

35 श्रीमती रोशनी घीया पत्नी पत्नी मोहन लाल घीया जाति महाजन

36 कल्पना घीया पुत्री कृष्ण गुप्ता जाति महाजन

37 मोहन लाल घीया पुत्र कृष्ण गुप्ता जाति महाजन

निवासी 4110, तोपखाने का रास्ता, चांदपोल, जयपुर ।

38 श्रीमती निशा देवी पत्नी विनोद

39 नवीन पुत्र विनोद नाबालिग प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती निशा देवी

40 साहिल पुत्र विनोद नाबालिग प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती निशा देवी

41 ईश्वर सिंह पुत्र गोरधन

42 मदन मोहन पुत्र गोरधन

43 रमेश पुत्र गोरधन

44 रितिक पुत्र राजेश

45 अक्षिता नाबालिग पुत्री राजेश जरिये संरक्षिका उर्मिला देवी

46 उर्मिला देवी पत्नी राजेश

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

47 कमलेश पुत्री गोरधन

48 श्रीमती चौथी पत्नी ग्यारसी लाल

49 चंदी पत्नी हरसहासय

निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर

50 सूणी लाल पुत्र घासीराम जाति जाट

51 प्रभू दयाल पुत्र घासीराम जाति जाट

52 हनुमान पुत्र घासीराम जाति जाट

समस्त निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

जिला कलक्टर
जयपुर

53 संजय पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जाट

54 श्रीमती शकुन्तला पत्नी अतर सिंह

निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

55 तारादेवी पत्नी हरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सी–66 वाल्मिकी मार्ग, हनुमान नगर विस्तार सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर।

56 श्रीमती अनिता पत्नी धर्मवीर

57 नरेन्द्र पत्नी रोहिताश सिंह

समस्त निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

58 आलोक सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर। हाल निवासी 438–439 वाल्मिकी मार्ग, हनुमान नगर विस्तार, सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर।

59 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

गुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 12/2021 ब उनवानी विवेक सिंह बनाम रामनारायण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 10.03.2022

1. संक्षेप में गुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 12/2021 ब उनवानी विवेक सिह बनाम रामनारायण व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. गुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व लिखित बहस पेश की ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस गुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 उक्त प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी नियत कर कार्यवाही कर रहे है तथा प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही प्रार्थी का जबाब पेश करने का अवसर बंद कर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्रस्तुत होने के पश्चात उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया है जिस पर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये

जिला कलक्टर
जयपुर

बिना ही प्रकरण में कार्यवाही कर रहे है। दिनांक 03.02.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को ग्राम में धमकी दी है कि मेरी एस.डी.ओ. साहब से बात हो चुकी है। अब मैं शीघ्र ही यह प्रकरण में डिक्री करवा कर पत्थरगढ़ी की आड़ में तुम्हे बेदखल कर दूंगा। क्योंकि मेरी राजनैतिक पहुंच ऊपर तक है। मैने अपने धनबल व एवं राजनैतिक पहुंच के कारण एस.डी.ओ. साहब पर दवाब बना रखा है जिस कारण वो शीघ्र ही प्रकरण का निस्तारण मेरे पक्ष में कर देंगे । प्रार्थी दिनांक 04.02.2022 को अपने मुकदमें की जानकारी करने अपने अधिवक्ता से वार्तालाप करने न्यायालय मे गया तो अप्रार्थी संख्यां 2 एस.डी.ओ. साहब के चेम्बर में से आते देखा गया । प्रार्थी को चेम्बर से बाहर खड़े देख कर अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को उसके विरूद्ध निर्णय कराने की धमकी दी । जिस पर प्रार्थी ने उक्त घटना की एस.डी.ओ. साहब को जानकारी दी, तो एस.डी.ओ. साहब ने कहा कि मेरे ऊपर दवाव है, मैं इनके पक्ष में निर्णय करूंगा । इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 की हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है, तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त की कोई उम्मीद नही है। ऐसी स्थिति मे उक्त मामले को जयपुर स्थित अन्य सक्षम न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्राथी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष पत्थरगढी का प्रकरण विचाराधीन है, जिसमे प्रार्थी सुरेश व उसके परिवारजन के द्वारा किये गये सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर काबिज रहने के उद्देश्य से जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है। बार बार विलम्ब किया जाने के उद्देश्य से अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी पर झूंठे आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। सीमाज्ञान हेतु अधिकतर पक्षकारों द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है, किन्तु प्रार्थी सुरेश व इनके परिवारजन के द्वारा लगभग एक वर्ष की अवधि में न्यायालय के समक्ष 18 तारीख पेशी पडने के बावजूद भी ना तो आज तक जवाब पेश किया गया है और ना ही आज तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये है जिससे यह स्पष्ट है कि यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मात्र विलम्ब किये जाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। उक्त प्रकरण का निस्तारण अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय से कराया जाना अप्रार्थी को स्वीकार है, किन्तु न्यायहित में प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करवाये जाने एवं प्रार्थी व इसके अन्य परिवारजन जो मामले में पक्षकार है, उनको आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जावे ताकि प्रकरण का शीघ्र निस्तारण हो सके, ताकि दोनों पक्षकारों के मध्य भविष्य में कोई अनावश्यक मुकदमेंबाजी एवं विवाद उत्पन्न नही हो।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यद्यपि उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, परन्तु प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने बाबत पाबन्द कर एक समय सीमा में प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश के साथ अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 12/2021 व उनवानी विवेक सिंह बनाम रामनारायण व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम मे स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 21.03.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का यथा सम्भव एक माह मे मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी आमेर व उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/03/22

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर